



भारत सरकार

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अधीन गठित केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामांकन हेतु पात्र व्यक्तियों/संगठनों से आवेदन आमंत्रित करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाइट ([www.mohfw.gov.in](http://www.mohfw.gov.in)) पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदनों को, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित संवर्गों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:-

Øa- la-	श्रेणी
1	मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (r) के मद (iii) में निर्दिष्ट अनुसार मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, जिसके पास इस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
2	मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, जिसके पास इस क्षेत्र में कम-से-कम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
3	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, जिनके पास इस क्षेत्र में कम-से-कम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
4	पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य, जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कम-से-कम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
5	उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जिनको मानसिक बीमारी है या रही हो।
6	मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या देखभाल करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन।
7	उन गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

### पात्रता शर्तें:

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक 67 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।
3. धारा 34 की उप-धारा-(1) के खंड (i), (j), (k) और (l) के अधीन संवर्गों हेतु आवेदनरत व्यक्ति, अपने संबंधित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों में पंजीकृत होंगे। यदि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में नहीं किया गया है, जहाँ ऐसा व्यक्ति कार्यरत है तो इस आशय का एक वचनबद्ध की राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकरण, उसके गठन के एक माह के अंदर करवाया जाएगा।

**केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्यों के कार्य की अवधि, भत्ते आदि:-** केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गैर-आधिकारिक सदस्यों के कार्य की अवधि, भत्ते आदि, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं तथा मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड) नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

**आवेदन का तरीका:-** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के साथ साधारण पोस्ट/स्पीड पोस्ट/दस्ती रूप में श्री मनीष राज, अवर सचिव (मानसिक स्वास्थ्य) कमरा नं. 306, डी विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011 को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से आगे 30 दिन तक बढ़ा दी गई है, जो कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' तथा 'दैनिक जागरण' में दिनांक 09.12.2021 को पूर्व प्रकाशित किया गया था।

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 और उसके अधीन गठित नियमों की प्रतियां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट ([www.mohfw.gov.in](http://www.mohfw.gov.in)) पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य विभाग  बिहार सरकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

